निर्णय बइजलास श्री जनकसिंह आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी गंगधार जिला झालावाड।

प्रकरण संख्या 00048/प्रा0पत्र/2018

1– उदा आत्मज सेवा जाति मेहर निवासी नयाखेडा तहसील डग
2– चन्दर आत्मज सेवा जाति मेहर निवासी नयाखेडा तहसील डग
3– अन्दरलाल आत्मज सेवा जाति मेहर निवासी नयाखेडा तहसील डग
4– नारायणलाल आत्मज रतनलाल जाति मेहर निवासी नयाखेडा तहसील डग
5– रमेश आत्मज रतनलाल जाति मेहर निवासी नयाखेडा तहसील डग

बनाम .... प्रार्थीगण

1– सौहेल गौरी आत्मज मेहबूब खां जाति मुसलमान निवासी डग तहसील डग

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट .... अप्रार्थीगण

उपस्थिति :– श्री हरीश भण्डारी अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री रतनलाल राठौर अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 03.02.2021

वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के नाम पर ग्राम डग के खसरा नम्बर 2172, 2173, 2171 व 2174 की भूमि दर्ज है। उक्त भूमि पर गांव से आने जाने का रास्ता सरकार रेकार्ड में हमेशा से दर्ज है। इस रास्ते को सौहेल गौरी ने खसरा नम्बर 2166, 2147, 2017 को तार लगाकर बन्द कर दिया है। जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। हम गरीब अनुसूचित जाति के है एवं हमारा रास्ता बन्द होने से हमारी भूमि पर काश्त होना बंद हो गई है। सोहेल गौरी सवर्ण व झगडालू व प्रभावशाली व्यक्ति है यदि उसे पाबन्द नहीं किया गया तो हम भूखे मर जावेगें। यह हमें मारने मरने पर उतारू है। अतः श्रीमान् कीर सेवामें प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि हमें हमारा रास्ता दिलाया जावे। व सौहेल गौरी को पाबन्द किया जावे। हम रास्ते का मुआवजा देने को तैयार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादी को सम्मन नोटिस जारी किया गया। वादी मय वकील उपस्थित। वादी व प्रतिवादी को सुना गया। वादी ने उपस्थित होकर निवेदन किया है कि उसकी खातेदारी भूमि ग्राम डग की खसरा नम्बर 2173/1, 2173/2 2173/3 व 2174 पर जाने हेतु वह हमेशा से ही खसरा नम्बर 2166, 2147, 2148, 2017 व 2149 में होकर निकलते रहे है। कभी कोई परेशानी उत्पन्न नहीं हुई है। परन्तु कुछ समय पहले अप्रार्थी द्वारा तार व बागर लगाकर रास्ता अवरूद्ध कर दिया है। जिससे वादी को अपने खातेदारी भूमि पर आने जाने का कोई ओर रास्ता नहीं है जिससे फसल को लाने ले जाने

उपखण्ड अधिकारी
गंगधार, जिला झालावाड़

Scanned by CamScanner

हकाई जुताई एवं मवेशी के आने जाने में बाधा उत्पन्न हो गई है। प्रार्थी को उक्त खसरा नम्बर में रास्ता दिया जावे। वह रास्ते की कीमत अप्रार्थी को अदा करने को तैयार है। अतः प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने के लिए रास्ता दिलवाया जावे। अप्रार्थी द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी से रिपोर्ट लिये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन व मनन किया । उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई भू अभिलेख निरीक्षक डग व पटवारी हल्का डग से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक भू अभिलेख निरीक्षक पटवारी हल्का रिपोर्ट के वादग्रस्त आराजी ग्राम डग के खसरा नम्बर 2174, 2172/1, 2172/2 व 2172/3 पर पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 2166, 2167, 2168 व 2017 में से होकर सुलभ रास्ता ही सम्भव है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है एवं यही सबसे छोटा उपलब्ध रास्ता है। ग्राम पंचायत डग द्वारा दिनांक 10.06.2016 को मुताबिक रेकार्ड उत्तर में भेरूलाल देवाजी के खसरा नम्बर 2168 एव दक्षिण में खातेदार सौहेल खान पुत्र मेहबूब गोरी के खसरा नम्बर 2166 दर्ज होने से बीच बेड से दोनों खातेदार राजी होने पर उक्त प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। परन्तु प्रकरण विवादास्पद होने से काश्तकारी अधिनियम 251 ए के तहत श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी गंगधार के यहां अपील की जा सकती है।

राज्य सरकार के राजस्व ग्रुप–6 विभाग के परिपत्र दिनांक 02.03.2012 के अनुसार स्टाम्प नियम 2004 के अनुसरण में जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दर का दोगुना प्रतिकर लिया जाकर जिस खातेदार की भूमि में होकर रास्ता निकाला जाना है को मुआवजा स्वरूप भुगतान की जाकर रास्ता निकालने के आदेश दिए जा सकते हैं। इस प्रकार ग्राम गणेशपुरा की आराजी खसरा नम्बर 2017 रकबा 9.16 बीघा में से पूर्व एवं पश्चिम दिशा तरफ 299 फीट गुणा 8 दक्षिण में कुल 1912 वर्गफीट लगभग 0–01 बिस्वा भूमि के खातेदार बगतबाई पुत्री रतनसिंह हिस्सा 1/4 , लाभूबाई पत्नी श्यामसिंह हिस्सा 1/4 , मदनसिंह पिता मोतीसिंह हिस्सा 1/4 एवं चैनसिंह पिता मोतीसिंह हिस्सा1/4 सर्वजाति राजपूत निवासी गणेशपुरा को प्रति बीघा भूमि की जिला स्तरीय समिति व्दारा निर्धारित दर 172640/– का दोगुना प्रतिकर 1912 वर्ग फिट गुणा 2 अर्थात 0.01 बिस्वा भूमि की प्रचलित बाजार दर की दो गुना राशि 17264/– अप्रार्थी को बराबर अनुपात में व ग्राम डग की आराजी खसरा नम्बर 2167 रकबा 1.00 बीघा जो भेरूलाल पुत्र देवा जाति बलाई साकिन नयाखेडा के पूर्व से पश्चिम 99 फीट गुणा 8 फीट कुल 792 वर्गफीट लगभग 0.01 बिस्वा प्रति बीघा भूमि की जिला स्तरीय समिति व्दारा निर्धारित दर 172640/– का दोगुना प्रतिकर 992 वर्ग फिट गुणा 2 अर्थात 0.01 बिस्वा भूमि की प्रचलित बाजार दर की दो गुना राशि 17264/– अप्रार्थी व ग्राम डग की आराजी खसरा नम्बर 2168 रकबा 2.04 बीघा भेरूलाल पुत्र देवा जाति बलाई साकिन नयाखेडा मे से दक्षिण मेरे पर पूर्व से पश्चिम में 322 फीट गुणा 8 फीट कुल 2576 वर्गफीट

उपखण्ड अधिकारी
गंगधार, जिला झालावाड़

Scanned by CamScanner

अर्थात 0.02 बीस्वा भूमि की जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दर 172640/— का दोगुना प्रतिकर लगभग 0.02 बिस्वा प्रचलित बाजार दर की दो गुना राशि 34528/— अप्रार्थी एवं ग्राम डग की आराजी खसरा नम्बर 2166 रकबा 0.01 बिस्वा किस्म गै.मु. चाह सोहेल गोरी पुत्र महबूब खां के नाम दर्ज है। किन्तु नक्शे में इस नम्बर का रकबा लगभग 0.03 बिस्वा है जिससे गै.मु. चाह का रकबा कम नहीं किया जा सकता। अतः खसरा नम्बर 2166 रकबा 0.01 बिस्वा गै.मु. चाह को छोडते हुए शेष रहे रकबे में से गै.मु. चाह से लगते हुए नक्शे में रास्ता दिये जाना उचित है। उक्त तीनों खातेदारों को मुआवजा स्वरूप भुगतान किए जाने के आदेश दिए जाते है।

आ दे श

अतः वाद पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम डग तहसील डग में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 2174, 2172/1, 2172/2 व 2172/3 भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2017 रकबा 9.16 बीघा में से 0.01 बिस्वा पूर्व एवं पश्चिम दिशा तरफ 299 फीट गुणा 8 दक्षिण में कुल 1912 वर्गफीट राशि 17264/— का हिस्सा बराबर व खसरा नम्बर 2167 रकबा 1.00 बीघा में से 0.01 बिस्वा में पूर्व से पश्चिम 99 फीट गुणा 8 फीट कुल 792 वर्गफीट राशि 17264 /— एवं खसरा नम्बर 2168 रकबा 2.04 बीघा में से 0.02 बिस्वा पूर्व से पश्चिम में 322 फीट गुणा 8 फीट कुल 2576 वर्गफीट राशि 34568/— मुआवजा अदा करने पर एवं खसरा नम्बर 2166 रकबा 0.01 बिस्वा किस्म गै.मु. चाह का नक्शे में रकबा लगभग 0.03 बिस्वा होने गै.मु. चाह का रकबा छोडते हुए शेष रहे रकबे में से गै.मु. चाह से लगते हुए नक्शे में 8 फिट चौडा दोनों ओर से व 835 फिट लम्बा दोनों ओर से कुल 6680 वर्ग फिट रास्ता निकालने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। तहसीलदार डग प्रार्थीगण से उक्त तीनो खातेदारों को कुल मुआवजा राशि 69136/— अदा कराई जाकर रास्ता सम्भलावें तथा मौके पर उक्त रास्ते को कायम कर राजस्व रेकार्ड में रास्ते की पुख्ता तरमीम करावें।

निर्णय बसरे इजलास में सुनाया गया।

जनक सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
गंगधार, जिला झालावाड़

Scanned by CamScanner